

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक-प्र०-7/विविध-04-38/2023-

/पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :- अन्य विभागों/निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये/मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :-

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/ निगम का नाम	ज्ञापांक/दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh, Add:- D/O-Tapeshwar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Boring Road Patna, Pin-800001 (Reg. No-1180176)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-637 दिनांक-15.01.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-1182 दिनांक-28.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
2	संवेदक Shashi Bhushan Singh, Add:- S/O-Late Shakaldev Singh, P.S-Barahia, Disk-Lakhisarai, Pin-811302 (Reg. No-247/2008)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-636 दिनांक-15.01.2026	ग्रामीण कार्य विभाग के सकारण आदेश ज्ञापांक-10941 दिनांक-08.09.2015 द्वारा संवेदक शशिभूषण सिंह को अनिश्चित काल के लिए कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश को संशोधित करते हुए कालीकरण की अवधि दि०-31.03.2027 तक निर्धारित किया गया है।
3	संवेदक ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3 rd Floor, Kolkata-700020	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	ज्ञापांक-98 दिनांक-13.01.2026	ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 8(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-154 दिनांक-18.06.2015 के कंडिका-8 क्र०-1(b) के तहत 15 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

4	संवेदक Suman Construction & Developer, Prop-Suman Singh, Add:- W/O-Baban Kumar Singh, Shobha Sadan, Shivaji Path Yarpur Patna, G.P.O Pin-800001 (Reg. No-1210235)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-635 दिनांक-15.01.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-11777 दिनांक-21.11.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी Blacklist आदेश को यथावत रखा गया है।
5	संवेदक M/S Star Construction, Prop-Ranjit Kumar Yadav, Add:- At-S/O-Fudan Lal Yadav, Ward No-14, Ashram Chowk Araria, Bihar, Pin-854311 (Reg. No-1240320/श्रेणी-प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-213 दिनांक-06.01.2026	ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-8123 दिनांक-19.12.2007 के कंडिका-11(क) उप कंडिका-(ix) एवं (ख) (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अगले 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
6	संवेदक राजीव कुमार सिंह, Add:- At-Arvind Society Gandhi Nagar Madhubani Purnea Bihar Pin-854301 (Reg. No-1220192)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-212 दिनांक-06.01.2026	ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-8123 दिनांक-19.12.2007 के कंडिका-11 (क) की उप कंडिका-(ix) एवं (ख) (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अगले 02 (दो) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
7	संवेदक Pranay Kumar Singh, Vill+Post-Kalpa, Dist-Jahanabad, Pin-804417, (Reg. No-4190055/UE)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12975 दिनांक-23.12.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एवं 11(ख) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
8	संवेदक श्री अभिषेक कुमार, ग्राम-बनकेरवां, पोस्ट-परसौना, जिला-सारण, पिन-841219 (निबंधन सं०-WRDO51224C3IN241 69 श्रेणी-तृतीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-6920 दिनांक-18.12.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (viii) में प्रावधानित कदाचार के तहत दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं०-201 दिनांक-14.03.2016 के आलोक में अगले 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
9	संवेदक Srikant Kumar Singh, At-Semraon House, Purvi Nawada, Arrah, Bhojpur, Pin-802301 (Bihar) (विभागीय निबंधन सं०-272/2019)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ज्ञापांक-2018 दिनांक-18.12.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (vii) के तहत 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।
10	संवेदक Badri Vishal Construction Private Limited, Add:- C/O-Rajesh Kumar Pandey, Chhota Bariyarpur Motiha Bariarpu Motihari, Dist-East Champaran, Pin-845401 (Reg. No-1240208)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12771 दिनांक-18.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10664 दिनांक-09.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।

11	संवेदक Bapudham Enterprises, Prop-Pappu Kumar, Add:- Son of Bachcha Prasad Yadav, At-Mathiya Bariyarpur, P.O-Mathurapur, P.S-Piprakothi, Dist-East Champaran Bihar, Pin-845429 (Reg. No-1250146)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12770 दिनांक-18.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-9448 दिनांक-01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
12	संवेदक M/S A R P Construction, Prop-Arpit Kumar, Add:- S/O- Umesh Kumar Singh, Ward No-25, Near M.S College, New Chandmari, Motihari, East Champaran, Motihari, Bihar, Pin-845401 (Reg. No-1230497)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12714 दिनांक-18.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10889 दिनांक-15.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
13	संवेदक Ritesh Kumar, Add:- Ward No-23, Budhwari Tola Dist-Bagaha, Pin-845101 (Reg. No-1200199)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12678 दिनांक-17.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10725 दिनांक-10.10.2025 द्वारा अगले 02 (वर्षों) के लिए की गयी Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
14	संवेदक Nitesh Kumar, Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path, Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar, Pin-800024 (Reg. No-1250203)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12662 दिनांक-17.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10724 दिनांक-10.10.2025 द्वारा अगले 02 (वर्षों) के लिए की गयी Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
15	संवेदक मनोज कुमार, Add:- Vill-Chodhrana Parsa, Rajnagar, P.O-Rampatti, P.S-Rajnaga, Dist-Madhubani Bihar, Pin-847236 (Reg. No-3170578)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12664 दिनांक-17.12.2025	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक-19.12.2007 की कंडिका 11 (क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
16	संवेदक Bhushan Constech & Marketing Private Limited, Add:- Shashi B Singh Main Road Maner, Patila, Patna, Bihar Pin-801108 (Reg. No-1220275)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12663 दिनांक-17.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-9436 दिनांक-01.09.2025 द्वारा अगले 02 (वर्षों) के लिए की गयी Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
17	संवेदक M/S Vaishno Enterprises, At-Veer Kunwar Singh Colloney, N/A-Charitravan, Dist-Buxar, Pin-802101 (Reg. No-1210203)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12631 दिनांक-16.12.2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक-11717 दिनांक-19.11.2025 द्वारा अगले 02 (वर्षों) के लिए Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।

18	संवेदक Rina Singh, P.O- Sonbarsa, Dist- Aurangabad, Pin-824124 Mob-9431279064 (Reg. No-1230180)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12629 दिनांक-16.12. 2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक-10038 दिनांक-18. 09.2025 द्वारा अगले 02 (वर्षों) के लिए Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
19	संवेदक Rinki Devi, Pan No- BTOPD4632F, W/O- Badrinarayan Bhagat, Vill- Belashpur, P.O-Ghordihan, P.S-Karagahar, Dist- Rohtas, Bihar, Pin-821115 (Reg. No-1230213)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12630 दिनांक-16.12. 2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक-718 दिनांक-17.02. 2025 एवं ज्ञापांक-6710 दिनांक-25. 06.2025 द्वारा अगले 04 (वर्षों) के लिए Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।
20	संवेदक Shivendra Kumar Sinha, Add:- S/O- Sumeshwar Singh, Siyaruwa, Jagdishpur, Thana-Jagdispur, Siyaruwa, Bhojpur, Bihar Pin-80215 (Reg. No-1230072)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक-12641 दिनांक-16.12. 2025	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक-7073 दिनांक-13.12. 2023 द्वारा अगले 10 (वर्षों) के लिए Blacklist किये जाने के आदेश को यथावत रखा गया है।

अतः काली सूची में डाले गये एवं निलंबित किये गए संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

- कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।
- यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।
/पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-प्र०-7 / विविध-04-38 / 2023-

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

- आपके विभाग से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।
/पटना, दिनांक...19/02/2026

ज्ञापांक-प्र०-7 / विविध-04-38 / 2023- 1290 (E)me

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

16/2/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

16.02.26

10/30/2025

7. संदर्भित वाद में दिनांक 19.04.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2025 को समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया कि राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत Construction of RCC HL Bridge in Kumhari Sarbahadi Road to Chulihari over Kumhari River तक के कार्य में पुल निर्माण के साथ 01 कि०मी० पहुँच पथ का कार्य करवाया जाना था जिसमें पुल कार्य पूर्ण कर लिया गया। पहुँच पथ में मिट्टी, GSB & WBM का आंशिक कार्य कराया गया, परन्तु अलकतरा एवं इमलसन का प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के पत्रांक 895 दिनांक 06.07.2023 द्वारा एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया।

8. उक्त वाद में पारित न्यायादेश के तहत संदर्भित एकरारनाम को विखंडित करते हुए Bitumen तथा Emulsion का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के आदेश के संदर्भ में संवेदक द्वारा उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पुल का अवशेष कार्य अन्य संवेदक द्वारा कर दी गयी है।

तदालोक में संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) द्वारा कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

9. दिनांक 12.12.2025 को उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त यह निदेश दिया गया था कि संदर्भित कालीकरण आदेश संवेदक को कब तामिला हुआ के संदर्भ में प्रतिवेदन अगली सुनवाई में रखा जाय।

10. उक्त सुनवाई में दिनांक 12.12.2025 को दिये गये आदेश के अनुपालन में उप सचिव द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कालीकरण आदेश ज्ञापांक 1182 दिनांक 28.03.2025 को विभागीय वेबसाइट सह Public Domain पर दिनांक 10.06.2025 को अपलोड कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन काल बाधित है। साथ ही संवेदक द्वारा **Condonation of delay petition** के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-1182 दिनांक 28.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या:-6237/2024 मेसर्स एम०एस० इन्टरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 19.04.2025 को पारित न्यायादेश के तहत दिनांक 06.07.2023 को एकरारनामा विखंडित आदेश के बिन्दु पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ को निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(दिवेश सेहारा)
सचिव

1201 1209

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 637 /पटना, दिनांक- 15-1-26
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर
विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(A) 15/1/26
(संजय कुमार)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 637 /पटना, दिनांक- 15-1-26
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल प्रदाधिकारी (म0),
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
(A) 15/1/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 637 /पटना, दिनांक- 15-1-26
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
(A) 15/1/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-316/2025 637 /पटना, दिनांक 15-1-26
प्रतिलिपि:- संवेदक संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh, Add:- D/O-
Tapeshwar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony,
Boring Road Patna, Pincode-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
(A) 15/1/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 637 /पटना, दिनांक- 15-1-26
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
(A) 15/1/26

संबंधित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पंजीयन संख्या 5073962/2025
दिनांक 16.01.2026

संवेदक Shashi Bhushan Singh(Regd. No-247/2008) Add:- S/O Late Shakaldev Singh, P.S- Barahia, Dist- Lakhisarai Pincode-811302 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10941 दिनांक 08.09.2015 द्वारा कालीकृत किये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-1590/2025 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.05.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

14/01/2026

आदेश

याचिकाकर्ता/संवेदक (Shashi Bhushan Singh(Regd. No-247/2008) Add:- S/O Late Shakaldev Singh, P.S- Barahia, Dist- Lakhisarai Pincode-811302 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत संवेदक को आवंटित पथ निर्माण कार्य संवेदक द्वारा ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 द्वारा संवेदक शशि भूषण सिंह को कालीकृत किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 21.07.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:-

संवेदक शशि भूषण सिंह को कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत(i) टी01 से सतसंदा (Package No. BR-19R-099) (ii) हलसीतराही पथ से बनपुरा (Package No. BR-19R-058) (iii) टी02 से शिवसेना (Package No. BR-19R-046) (iv) कमारपुर से बड़हिया (Package No. BR-19R-037) (v) एन0एच0 80 से दरियापुर से अलीवाली (Package No. BR-19R-04) पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया।

- उक्त पथ निर्माण कार्य संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित किये जाने के उपरांत बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 द्वारा संवेदक शशि भूषण सिंह को कालीकृत को कालीकृत किया गया।(कालीकरण आदेश में संवेदक को कालीकृत किये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है)
- उक्त कालीकरण आदेश में संवेदक को कालीकृत किये जाने की अवधि स्पष्ट नहीं होने के कारण उक्त कालीकरण आदेश विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किये जाने हेतु संवेदक शशि भूषण सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-14159/2024 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।
- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-14159/2024 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"2. Without going into merit or demerit of the case, having regard to the fact that the petitioner has already ventilated his grievance to the respondent No. 4, the present writ petition is disposed of at the stage of admission with the consent of both the parties directing the respondent No. 4 to consider the representation made by the petitioner (Annexure-P/3) as

पथ निर्माण विभाग का संचालक
625
16.01.2026
बिहार, पटना

अभिषेक प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
293
19-1-26

3276 (30)
19/01/26

अ.अ. (सं.)
20/01/26

पु. 7
20/01/26

28/01/26

Handwritten signature

1027
1199
expeditiously as possible preferably within a period of eight weeks from today.

3. With the above direction, the present writ petition stands disposed of."

05. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 26.10.2024 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कमरपुर से बड़हिया रोड पथ के कार्य समाप्ति के पश्चात उक्त पथ के विरुद्ध जमा राशि यथा अग्रघन की राशि सुरक्षित राशि सूद सहित भुगतान हेतु अनुरोध किया गया।
06. तदालोक में संवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा का सकारण आदेश ज्ञापांक 2049 दिनांक 12.12.2024 द्वारा संवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।
07. तदोपरांत संवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या:-1590/2025 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।
08. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या:-1590/2025 शशि भूषण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.05.2025 को न्यायादेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया। संदर्भित वाद में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"4. In that view of the matter, we consider it desirable to permit the petitioner to approach the Chief Engineer/Competent Authority within a period of two weeks and seek a modification of the order, making such order of blacklisting limited for a particular period.

5. The Chief Engineer/Competent Authority shall consider the facts of this case and shall pass a reasoned order on such representation, taking into account that the petitioner has remained blacklisted for approximately ten years by now. The Competent Authority shall decide the issue within a period of four weeks from the date of receipt of the representation by the petitioner.

6. The petition stands disposed of accordingly."

09. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा मुख्य अभियंता-03 के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसे मुख्य अभियंता-03 का पत्रांक 563 अनु० दिनांक 23.05.2025 एवं पत्रांक 1086 अनु० दिनांक 13.08.2025 द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव को अग्रसारित करते हुए पारित न्यायादेश के अनुपालन में Speaking Order पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।
10. तदालोक में उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को उठाया गया :-

(क) ज्ञापांक 405 दिनांक 19.03.2013 एवं ज्ञापांक 10941 दिनांक 08.09.2015 की जानकारी उपलब्ध नहीं था। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा का सकारण आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुई है।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सकारण तार्किक आदेश पारित किया जाय।

(ग) पूर्व में जमा NSE एवं EMD की लंबित राशि को वापस किया जाय।

11. दिनांक 12.12.2025 को उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त निम्नांकित निदेश दिया गया है कि उक्त अंश-क एवं अंश-ख पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा को अगली सुनवाई दिनांक 07.01.2026 (बुधवार) को 10.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित बैठक में स्थिति स्पष्ट करने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया।

12. संदर्भित मामले में माननीय न्यायालय सक्षम प्राधिकार के समक्ष Modification Order तैयार करने एवं सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। यद्यपि Modification Order अभियंता प्रमुख द्वारा दिया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त मामले में इसी स्तर पर कार्रवाई हो रही है।

अतः बतौर अपीलीय प्राधिकार अद्योहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय के अनुपालन में आदेश पारित किया जा रहा है।

13. उक्त सुनवाई में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, शेखपुरा के अपने पत्रांक 72 दिनांक 12.12.2025 द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि कार्य के निष्पादन से संबंधित पत्राचार का उल्लेख कार्यपालक अभियंता ने निर्गत पंजी की प्रतिलिपि के साथ दिया गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश आज भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा सकारण आदेश के प्रति के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आई0टी0 मैनेजर को 08.09.2015 को प्रेषित है।


ऐसे में कालीकरण की जानकारी नहीं होना प्रथम दृष्टया तर्कसंगत नहीं है।

14. मूलतः Blacklisting आदेश Particular Period के लिए हो, के बिन्दु पर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गयी है। याचिकाकर्ता ने यह बताया गया कि तामिला नहीं होने के कारण ससयम उक्त आदेश के विरुद्ध नियमसंगत अपील नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि तत्सयम कार्य न होने के पीछे प्रमुख कारण जमीन संबंधी कुछ विवाद था। इस बिन्दु पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा पारित आदेश 2049 दिनांक 12.12.2025 में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला गया।

15. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:- 1590/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2025 न्यायादेश पारित करते हुए दिनांक 08.09.2015 को निर्गत कालीकरण आदेश के आलोक में अभ्यावेदन (Representation) को निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। संवेदक द्वारा जमा NSE एवं EMD की लंबित राशि को जब्त करने का निदेश दिनांक 08.09.2015 को निर्गत कालीकरण से पृथक आदेश है। अतः NSE तथा EMD पर सुनवाई करना संभव नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक शशि भूषण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मूल Blacklisting आदेश अनिश्चितकालीन अवधि को Truncate करते हुए दिनांक 31.03.2027 तक निर्धारित किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(दिवेश सिंह)
सचिव

1225
1897

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-06-08/2025 636 /पटना, दिनांक- 15-1-26
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर
विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(S) 15/1/26
(संजय कुमार)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-06-08/2025 636
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0),
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक- 15-1-26

(S) 15/1/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-06-08/2025 636
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक- 15-1-26

(S) 15/1/26

बंधत

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-06-08/2025 636
प्रतिलिपि:- संवेदक Shashi Bhushan Singh Add:- S/O Late Shakaldev Singh,
P.S- Barahia, Dist- Lakhisarai Pincode-811302 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक 15-1-26

(S) 15/1/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-06-08/2025 636
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक- 15-1-26

(S) 15/1/26

सरकार के अपर सचिव



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

1190
4024

पञ्जीयम संख्या
5068271
दिनांक 15.01.2026

Doc. No:- BRPNL/HQA / C00/ 07 Dt. 13.01.2026 Page No.../...

॥ कार्यालय आदेश ॥

ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3rd Floor, Kolkata-700020 को रोहतस जिलान्तर्गत रोहतासगढ पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग के निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि दिनांक-25.08.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-24.02.2022 था। संवेदक द्वारा Design, Drawing एवं Execution में बरती गई लापरवाही परियोजना में विलम्ब का मुख्य कारण है, साथ ही Supervision Consultant WAPCOS द्वारा उठाये गये Queries का निराकरण में संवेदक द्वारा विलम्ब किया जाता रहा है।

इस परियोजना का Trial Run एवं Testing का कार्य दिनांक-19.12.2025 से प्रारंभ किया गया। दिनांक-26.12.2025 को Trial Run एवं Testing के दौरान Upper Terminal Point के Return Sheave से Wire Rope Slip करके बाहर निकलने के कारण Upper Terminal Point पर स्थित Towers क्षतिग्रस्त हो गया।

अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के कार्यालय आदेश संख्या-209 दिनांक-26.12.2025 द्वारा इस घटना की जाँच हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित की गई है। उक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक-27.12.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षणोंपरांत उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1, पटना के पत्रांक-2438 (अनु०), दिनांक-30.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि Upper Terminal Point (UTP) के Return Sheave से Wire Rope Slip को रोकने हेतु निरूपण एवं आरेखन में कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो Safety Major का Violation है। संवेदक द्वारा बरती गई इस लापरवाही के आलोक में कार्यालय के पत्रांक-3781 दिनांक-30.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा किया गया। तद्आलोक में संवेदक द्वारा अपने पत्रांक-RGH.130/3705 दिनांक-07.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अनुसार Loaded Cabin को Return Sheave के पहले Unloaded किया जाना था, परंतु संवेदक के प्रतिनिधि के लापरवाही के कारण Loaded Cabin Return Sheave से गुजरने के क्रम में Wire Rope Return Sheave से बाहर निकल गया, जिसके कारण Upper Terminal Point पर अवस्थित Towers क्षतिग्रस्त हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा घोर लापरवाही बरती गई एवं Safety Major का Violation किया गया।

संवेदक द्वारा कार्य में किये गए विलंब, बरती गयी लापरवाही के कारण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 8(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-154 दिनांक-18.06.2015 के कंडिका 8, क्र०-1(b) के तहत संवेदक को 15 वर्षों के लिए काली सूची में डालने हेतु वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, आरा का पत्रांक-39 (अनु०), दिनांक-12.01.2026 एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1 द्वारा अनुशंसा किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3rd Floor, Kolkata-700020 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 8(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-154 दिनांक-18.06.2015 के कंडिका-8 क्र०-1(b) के तहत 15 वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०,पटना।

कृपया पृष्ठ पल्टें.....

उपरोक्त सं. सं. 16/1/26
दिनांक
मु. (क.)
19/01/26

244
20/1/26

1023
1995

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०,पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3rd Floor, Kolkata-700020 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०,पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०,पटना।

ज्ञापांक-.....98...../पटना, दिनांक- 13/01/2026

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

10/1
13.1.26

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०,पटना।

21/1
13.1.2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पंजीयन संख्या 10116/2016
5074023
16.01.2026
51

संवेदक Suman Construction & Developer Prop- Suman Singh, (Reg. No. 1210235)
Add:- W/O Baban Kumar Singh, Shobha Sadan, Shivaji Path Yarpur Patna, G.P.O Pincode
800001 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-11777 दिनांक 21.11.2025
द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 30.12.2025 को
समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

14/01/2026

आदेश

याचिकाकर्ता / संवेदक Suman Construction & Developer Prop- Suman Singh, (Reg.
No. 1210235) Add:- W/O Baban Kumar Singh, Shobha Sadan, Shivaji Path Yarpur Patna,
G.P.O Pincode 800001 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रमंडल, पटना उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन Package No.
MGSY/24-25/Patna/02 (Tender ID- 141459) की निविदा में संवेदक Suman Construction
& Developer Prop- Suman Singh, (Reg. No. 1210235) द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र
जाली / फर्जी होने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007
के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 11777
द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 30.12.2025 को अपना
अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए संदर्भित निविदा में कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भूलवश गलत
अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड हो जाने के कारण कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया
गया।

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (ड) में उल्लेखित है कि
"दिये गये दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त एवं
सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने
संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 21.11.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध
संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 30.12.2025 है।

5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील,
कालबाधित (Time Barred) है। साथ ही संवेदक द्वारा Condonation of delay के लिए कोई
कारण नहीं बताया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Suman
Construction & Developer Prop- Suman Singh, (Reg. No. 1210235) द्वारा समर्पित अपील
अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या
ज्ञापांक 11777 दिनांक 21.11.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत
(Blacklist) आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

संवेदक के नाम पर
दिनांक 16/01/2026
संबंधित है
624

क्र. 19-1-26
29/1-26
19/01/26
20/01/2026

288
22/1/26

4021
1193

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-266/2025

635

/पटना, दिनांक- 15-7-28

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/11/26
(संजय कुमार)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-266/2025

635

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक-15-7-28

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/11/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-266/2025

635

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक- 15-7-28

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


15/11/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-266/2025

635

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक 15-7-28

प्रतिलिपि:- संवेदक Suman Construction & Developer Prop- Suman Singh, Add:- W/O Baban Kumar Singh, Shobha Sadan, Shivaji Path Yarpur Patna, G.P.O Pincode 800001 को सूचनार्थ प्रेषित।


15/11/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-266/2025

635

सरकार के अपर सचिव
/पटना, दिनांक- 15-7-28

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/11/26

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1192
5028229
07.01.2026
6.1.26

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-292/2025 213 /पटना, दिनांक- 6.1.26

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत आमंत्रित निविदा संख्या-15/SBFE/2025-26 के ग्रुप संख्या-02 (टेंडर आई0डी0-91009) में संवेदक M/S Star Construction Prop:- Ranjit Kumar Yadav (निबंधन संख्या:-1240320 /श्रेणी-प्रथम) At- S/O Fudan Lal Yadav, Ward No.-14 Ashram Chowk Araria, Bihar Pincode 854311 द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली समर्पित किये जाने के कारण मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1407 दिनांक 19.09.2025 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 10866 अनु0 दिनांक 15.10.2025 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छी की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 03.11.2025 को समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि संदर्भित निविदा जब निकाली गई तब वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। दिनांक 27.02.2025 को बाजार के कैफे से टेंडर डाला गया। निविदा से संबंधित सभी सही कागजात कैफे के ऑपरेटर को दिया गया। जिसने विरोधी से मिलकर द्वेष पूर्वक छेड़-छाड़ एवं हेरा फेरी किया गया। तदनुसार समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका-11 (क) उप कंडिका- (ix) एवं (ख) (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदाकार/ संवेदक M/S Star Construction Prop:- Ranjit Kumar Yadav (निबंधन संख्या:-1240320 /श्रेणी-प्रथम) At- S/O Fudan Lal Yadav, Ward No.-14 Ashram Chowk Araria, Bihar Pincode 854311 के निबंधन संख्या:-1240320 को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

Mar 05-01-2026

(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.1.26

Mar 05-01-2026

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.1.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-291/2025 213

प्रतिलिपि- M/S Star Construction Prop:- Ranjit Kumar Yadav Add:- At- S/O Fudan Lal Yadav, Ward No.-14 Ashram Chowk Araria, Bihar Pincode 854311 को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 6.1.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mar 05-01-2026

अभियंता प्रमुख


क०प०उ०

148
13/1/26


1019 1191

1019 1191

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-292/2025 213 /पटना, दिनांक- 6.1.26
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-292/2025 213 /पटना, दिनांक- 6.1.26
प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/
आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5028178

07-01-2026


1190
1018

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-291/2025 212 /पटना, दिनांक- 6.1.26

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत आमंत्रित निविदा संख्या-15/SBFE/2025-26 के गुप संख्या-02 (टेंडर आई0डी0-91009) में संवेदक राजीव कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220192) At-Arvind Society Gandhi Nagar Madhubani Purnea Bihar Pincode 854301 द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली समर्पित किये जाने के कारण मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1407 दिनांक 19.09.2025 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 10880 अनु0 दिनांक 15.10.2025 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छी की गयी। तदालोक में संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 03.11.2025 को समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि संदर्भित निविदा जब निकाली गई तब वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। दिनांक 27.02.2025 को बाजार के कैफे से टेंडर डाला गया। निविदा से संबंधित सभी सही कागजात कैफे के ऑपरेटर को दिया गया। जिसने विरोधी से मिलकर द्वेष पूर्वक छेड़-छाड़ एवं हेरा फेरी किया गया। तदनुसार समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका-11 (क) उप कंडिका- (ix) एवं (ख) (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदाकार/संवेदक राजीव कुमार सिंह (निबंधन संख्या-1220192) At-Arvind Society Gandhi Nagar Madhubani Purnea Bihar Pincode 854301 के निबंधन संख्या:-1220192 को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



05-01-2026

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.1.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-291/2025 212


प्रतिलिपि- संवेदक राजीव कुमार सिंह Add:- At-Arvind Society Gandhi Nagar Madhubani Purnea Bihar Pincode 854301 को सूचनार्थ प्रेषित।


05-01-2026
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.1.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-291/2025 212


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05-01-2026
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.1.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-291/2025 212

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


05-01-2026
अभियंता प्रमुख

क0प्र0उ0

13/1/26


106
07-01-26
अ0 (क)
2008
31/1/26
प. 7
05-01-26

(1017) (1) 89

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-291/2025 212

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/
आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 6.1.22


05.01.2022
अभियंता प्रमुख



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

4986011
26.12.2025

1188-1016
26.12.2025
Pranay Kumar
(18)

संवेदक Pranay Kumar Singh, Regd. No.- 4190055/UE Vill+Post-Kalpa, Dist- Jahanabad, Pin-804417 को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष MMGSY(SC) योजनान्तर्गत Nawadih yadav Tola to Baniyadih Yadav Tola पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 11.01.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.10.2021 है।

प्र. (का. प्र.) संदर्भित पथ में एकरारनामा (एकरारनामा संख्या-88/SBD/MMGSY/2020-21) के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदक को पत्राचार के माध्यम से एवं मौखिक रूप से कई बार स्मारित किया गया। इसके बावजूद संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली का पत्रांक 587 दिनांक 16.04.2025 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु विहित प्रपत्र में अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

5694
पत्र सं- 29-2-25
दिनांक 29-12-25

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 9043 दिनांक 21.08.2025 एवं पत्रांक 9938 दिनांक 16.09.2025 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के साथ-साथ प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक Pranay Kumar Singh को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली का पत्रांक 1920 दिनांक 13.11.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि संवेदक द्वारा पथ में 0.180 कि०मी० में PCC कार्य तथा शेष भाग में GSB कार्य किया गया है।

अव(व)
323
30/12/25

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक को क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा कई बार स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा एकरारनामा में उल्लेखित विशिष्टियों के अनुरूप ससमय कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।

7
30/12/25

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक Pranay Kumar Singh(Regd. No.-4190055/UE, PAN-IVQPS1289L) द्वारा कार्य प्रमंडल, रजौली के अधीन शीर्ष MMGSY(SC) योजनान्तर्गत Nawadih yadav Tola to Baniyadih Yadav Tola पथ निर्माण कार्य अपूर्ण रखने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक:- 23.12.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-244/2025 12975

निबंधित

प्रतिलिपि:- Pranay Kumar Singh, Regd. No.- 4190055/UE Vill+Post-Kalpa, Dist- Jahanabad, Pin-804417 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख)
23.12.25

2nd 5 w
23.12.25


04
01/12/25

1187

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-244/2025 12975

/पटना, दिनांक:- 23.12.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 23.12.25

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 23.12.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-244/2025 12975

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 23.12.25

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 23.12.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-244/2025 12975

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 23.12.25

अभियंता प्रमुख

५५.

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
शुद्धि पत्र

4986448/1180176
26.12.2025

आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892

/पटना, दिनांक- 22.12.25

संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) Add:- D/O- Tapeswar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Boring Road Patna, Pincode-800001 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-1182 दिनांक 28.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 24.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष दिनांक 12.12.2025 को की गयी सुनवाई के उपरान्त निर्गत विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12661 दिनांक 17.12.2025 में संवेदक Nitesh Kumar, Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path, Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar Pincode: 800024 के स्थान पर M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh Add:- D/O- Tapeswar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Boring Road Patna, Pincode-800001 पढ़ा जाय।

शेष यथावत रहेंगे।

लघिका सं०-5837
दिनांक-29-12-25

350 (40)

30/12/25

30/12/25

30/12/25

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'
सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक- 22.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक- 22.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
/पटना, दिनांक- 22.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892 /पटना, दिनांक 22.12.25
प्रतिलिपि:- संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh, Add:- D/O- Tapeswar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Boring Road Patna, Pincode-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

अनु0:-यथोक्त।

P.T.O

05
01/12/25

धत

1013 1188

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892 /पटना, दिनांक- 22.12.25
प्रतिलिपि- संवेदक Nitesh Kumar, Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path,
Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar Pincode: 800024 को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0:-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव
22.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12892 /पटना, दिनांक- 22.12.25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
22.12.25

1184
53 7017

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) Add:- D/O- Tapeswar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Boring Road Patna, Pincode-800001 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-1182 दिनांक 28.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 24.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

याचिकाकर्ता / संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) Add:- D/O- Tapeswar Singh, F-53 B Satayam Appartment, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Boring Road Patna, Pincode-800001 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत Construction of RCC HL Bridge in Kumhari Sarbahadi Road to Chulihari over Kumhari River तक पुल का निर्माण कार्य एकरारित अवधि में नहीं किये जाने के कारण संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 1182 दिनांक 28.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 24.11.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. उक्त एकरारनामा विखंडन के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-6237/2024 मेसर्स एम0एस0 इन्टरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

5. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-6237/2024 मेसर्स एम0एस0 इन्टरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक 19.04.2025 को कतिपय निदेश के साथ निष्पदित की गयी, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

13. Having regard to the above mentioned facts and circumstances of the case, this Court is constrained to set aside the impugned order dated 06.07.2023 as the same is in violation of the principles of natural justice and equity. The authorities are directed to take necessary steps for issuance of the bitumen and emulsion so as to enable the petitioner to complete the work within one week from the date of the bitumen and emulsion being handed over to the petitioner. In case the petitioner is unable to complete the work even after the bitumen and emulsion have been provided then the authorities are free to take necessary action strictly in accordance with law.

14. With the above direction, the present writ petition stands allowed.

6. उक्त वाद में पारित न्यायादेश में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के पत्रांक 895 दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से एकरारनामा विखंडन एवं जमानत की राशि की जब्ती संबंधी निर्गत सकारण आदेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण निरस्त (Set-aside) कर दिया गया। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित प्राधिकार को शेष कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने के लिए याचिकाकर्ता/संवेदक को Bitumen तथा Emulsion निर्गत करने का आदेश दिया गया है।

1011 1183

52

7. संदर्भित वाद में दिनांक 19.04.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 24.11.2025 को समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत Construction of RCC HL Bridge in Kumhari Sarbahadi Road to Chulihari over Kumhari River तक के कार्य में पुल निर्माण के साथ 01 कि०मी० पहुँच पथ का कार्य करवाया जाना था जिसमें पुल कार्य पूर्ण कर लिया गया। पहुँच पथ में मिट्टी, GSB & WBM का आंशिक कार्य कराया गया, परन्तु अलकतरा एवं इमलसन का प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के पत्रांक 895 दिनांक 06.07.2023 द्वारा एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया।

8. उक्त वाद में पारित न्यायादेश के तहत संदर्भित एकरारनाम को विखंडित करते हुए Bitumen तथा Emulsion का प्राधिकार पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है के संदर्भत में संवेदक द्वारा उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पुल का अवशेष कार्य अन्य संवेदक द्वारा कर दी गयी है।


तदालोक में संवेदक M/S M.S. Enterprises, Prop-Manju Singh (Reg. No. 1180176) द्वारा कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

9. उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त यह निदेश दिया जाता है कि संदर्भित कालीकरण आदेश संवेदक को कब तामिला हुआ के सदर्थ में प्रतिवेदन अगली सुनवाई में उपस्थित करें ताकि लिमिटाईजेशन के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सके।


तदनुसार संदर्भित मामले की सुनवाई दिनांक 07.01.2026 (बुधवार) को 10.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की जाती है।


(दिवेशी सेहरा)
सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12661 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12661 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु०), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

(51)

1182
1040

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12661 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तर
16/12/2025

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-316/2025 12661 /पटना, दिनांक 17.12.25
प्रतिलिपि:- संवेदक Nitesh Kumar, Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path,
Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar Pincode: 800024 को सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तर
16/12/2025

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-316/2025 12661 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर
16/12/2025

सरकार के उप सचिव

बंधत

(118)
15/12/2025

पत्र संख्या-26/विविध-01-01/2025.....

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

4976081
23/12/2025



मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया के अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-10/2024-25 के ग्रुप संख्या-3 एवं 4 अंतर्गत क्रमशः Removal of Jalkumbhi, aquatic glass, Daldal and sewage materials from Parsa Barmutta Nala in between 10.58 km to 17.18km तथा Removal of Jalkumbhi, aquatic glass, Daldal and sewage materials from Pahari Nala in between 0.00 km to 6.65km का कार्य परिमाण विपत्र की दर से क्रमशः 37 प्रतिशत एवं 36.50 प्रतिशत कम दर पर संवेदक श्री अभिषेक कुमार, जिला-सारण को आवंटित किया गया।

आवंटित कार्य का एकरारनामा करने हेतु कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया के पत्रांक-454 दिनांक-04.04.2025 द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया, परन्तु बार-बार स्मारित करने के बावजूद भी निर्धारित अवधि तक एकरारनामा हेतु उपस्थित नहीं हुए। संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं करने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1388 दिनांक-21.04.2025 के द्वारा उनके निबंधन को काली सूची में डाले जाने हेतु अनुशंसा की गई।

उक्त के संदर्भ में बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (ख) के तहत संवेदक श्री अभिषेक कुमार, ग्राम- बनकेरवां, पोस्ट- परसौना, जिला-सारण से विभागीय पत्रांक-1891 दिनांक-05.05.2025 द्वारा कारण-पृच्छा किया गया। पुनः पत्रांक-2835 दिनांक-24.06.2025 द्वारा स्मारित किया गया। तदालोक में संवेदक से प्राप्त कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर में अंकित है कि "मेरी तबीयत अचानक दिनांक-13.04.2025 को बहुत जोर से पेट में दर्द होने के कारण मुझे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें मुझे संबंधित जांच रिपोर्ट में डॉ० साहब के द्वारा बताया गया की आपके पेट के गोल ब्लाडर में स्टोन है, आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है और मुझे अस्पताल में भर्ती करके दिनांक-17.04.2025 को ऑपरेशन कराया गया है। उस समय के बाद से 3 महीनों के लिए पूर्ण आराम के लिए डॉ० साहब के द्वारा कहा गया।

संवेदक से प्राप्त कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा में पाया गया है कि संवेदक द्वारा समर्पित चिकित्सा संबंधी अभिलेख बिना चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहर के हैं एवं उसमें अंकित QR Code भी Scan नहीं हो पा रहा है, इसलिए संवेदक से प्राप्त कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से स्पष्ट प्रस्ताव एवं मंतव्य की मांग की गयी।

तदालोक में मुख्य अभियंता, पटना के पत्रांक-4036 दिनांक-14.10.2025 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। मुख्य अभियंता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि 'संवेदक द्वारा दिनांक-13.04.2025 को पेट में दर्द होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने तथा दिनांक-17.04.2025 को ऑपरेशन कराये जाने संबंधी सूचना किसी भी माध्यम से कार्यालय को पूर्व में नहीं दिया गया है। जबकि दिनांक-04.04.2025 से लेकर दिनांक-12.04.2025 तक बार-बार उनसे सम्पर्क करने की कोशिश कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम एवं दूरभाष पर किया जाता रहा है। खराब तबीयत के संबंध में कार्यपालक अभियंता को अवगत कराये जाने का जिक्र संवेदक द्वारा पत्र में किया गया है जो पूरी तरह गलत निराधार एवं भ्रामक है'। संवेदक द्वारा स्वेच्छापूर्वक एकरारनामा की कार्रवाई नहीं की गयी एवं जानबूझकर बाढ़ आपदा एवं लोकहित जैसे ज्वलंत कार्य की महत्ता को दरकिनार करते हुए एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं किया गया।

अ.प्र. (अ.प्र.)

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
5839
29-12-25

30310 (40)

30/12/25

पु. 7
30/12/25

2.11.25

06
01/12/26

7008 / 1180

एक बार से अधिक कार्य आवंटित होने के पश्चात् निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 के नियम-11 (क) (viii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः उपर्युक्त के लिए संवेदक श्री अभिषेक कुमार, ग्राम-बनकेरवां, पोस्ट-परसौना, जिला-सारण (निबंधन सं०-WRD051224C3IN24169 श्रेणी-तृतीय) को बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (viii) में प्रावधानित कदाचार के तहत दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं०-201 दिनांक-14.03.2016 के आलोक में अगले 10 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :- 26/विविध-01-01/2025.....

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- श्री अभिषेक कुमार, ग्राम-बनकेरवां, पोस्ट-परसौना, जिला-सारण, पिनकोड-841219 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक 26/विविध-01-01/2025.....

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक-1388 दिनांक-21.04.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26/विविध-01-01/2025.....

पटना, दिनांक : 18/12/25.....

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

11-19/1007



बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका सं०-12/वि०-216/2024-2018 पटना, दिनांक-18/12/25

प्र. (आ. प्र.)

विषय: Srikant Kumar Singh, At- Semraon House, Purvi Nawada, Arrah, Bhojpur, Pin-802301 (Bihar) (विभागीय निबंधन संख्या-272/2019) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत आमंत्रित निविदा सूचना संख्या:- MNNQ-04 वर्ष 2019-20 के ग्रुप संख्या-22 की निविदाओं में डाले गये Work Experience Certificate फर्जी पाये जाने के कारण, इस कृत्य के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत काली सूची में डालने के संबंध में।

5559
28-12-25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत आमंत्रित निविदा सूचना सं०:- MNNQ-04 वर्ष 2019-20 के ग्रुप सं०-22 की निविदाओं में संवेदक Srikant Kumar Singh, At- Semraon House, Purvi Nawada, Arrah, Bhojpur, Pin-802301 (Bihar) द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें संवेदक द्वारा डाले गये Work Experience Certificate का सत्यापन कराये जाने पर फर्जी पाया गया।

मु० अ० (सं०)

23/12/25

संवेदक Srikant Kumar Singh के द्वारा किये गये इस कृत्य के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना सं०:- MNNQ-04 वर्ष 2019-20 के ग्रुप संख्या-22 की निविदाओं में डाले गये Work Experience Certificate फर्जी पाये जाने के आधार पर निर्गत एल० ओ० ए० एवं निविदा रद्द करते हुए उक्त संवेदक को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा की गयी है। अधीक्षण अभियंता, अंचल-आरा एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र-पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, बक्सर के प्रस्ताव को अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से पूछे गये कारण पृच्छा का संवेदक के द्वारा दिनांक-26.03.2020 को अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। जिस पर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-2035, दि०-10.11.2025 के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक के द्वारा दि०-23.09.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में मामला दर्ज किया गया जिसका Case No.-CWJC-20535/2019 है। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक के द्वारा उक्त वाद को वापस लेने संबंधी शपथ पत्र दिया गया है एवं संवेदक को कोई भी कार्य इस प्रमंडल अन्तर्गत आवंटित नहीं है।

23/12/25

23/12/25

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई उपर्युक्त अनुशंसा एवं संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई जिससे यह परिलक्षित हुआ कि संवेदक के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत आमंत्रित निविदा सूचना सं०:- MNNQ-04 वर्ष 2019-20 के ग्रुप संख्या-22 की निविदाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

(५)

✓

1178
1006

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के कंडिका-11 (II) के तहत संवेदक Srikant Kumar Singh (विभागीय निबंधन सं०-272 /2019) को 03 वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त दण्ड के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3XIV
18.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-216/2024-2018

पटना, दिनांक-18.12.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3XIV
18.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-216/2024-2018

पटना, दिनांक-18.12.25

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,/आई० टी० मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

3XIV
18.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-216/2024-2018

पटना, दिनांक-18.12.25

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर/ Srikant Kumar Singh, At- Semraon House, Purvi Nawada, Arrah, Bhojpur, Pin-802301 (Bihar), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3XIV
18.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-216/2024-2018

पटना, दिनांक-18.12.25

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3XIV
18.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

eed Post/
Email

11/17/25

ter no. 2018 dt 18-12-2025 आदेश

Data Centre < datacentre_phed@yahoo.co.in >

Thu, 18 Dec 2025 3:52:39 PM +0530

To "wrd-bih@bih.nic.in"<wrd-bih@bih.nic.in>,"secy-bcd-bih@nic.in"<secy-bcd-bih@nic.in>,"secy_ruralworks@gov.in"<secy_ruralworks@gov.in>,"secy-plandev-bih@nic.in"<secy-plandev-bih@nic.in>,"urbansec-bih@nic.in"<urbansec-bih@nic.in>,"mdbuidco@gmail.com"<mdbuidco@gmail.com>,"md@buidco.in"<md@buidco.in>,"cgm@buidco.in"<cgm@buidco.in>,"secmnir-bih@nic.in"<secmnir-bih@nic.in>,"secyrtd-bih@nic.in"<secyrtd-bih@nic.in>,"Chief Secretary Bihar"<cs-bihar@nic.in>

Sir,
Please find the attached file.

Data Centre
PHED, Bihar, Patna

1 Attachment(s)

2018 DT 18-12-2025.pdf
988 KB

1981X 11XK1X
ग्रामीण कार्य विभाग

4967115
22.12.2025

संवेदक Badri Vishal Construction Private Limited (Reg. No. 1240208) Add:- C/O Rajesh Kumar Pandey Chhota Bariyarpur Motiha Bariarpu Motihari Dist- East Champaran Pincode-845401 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10664 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 03.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

याचिकाकर्ता / संवेदक Badri Vishal Construction Private Limited (Reg. No. 1240208) Add:- C/O Rajesh Kumar Pandey Chhota Bariyarpur Motiha Bariarpu Motihari Dist- East Champaran Pincode-845401 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के अधीन MGSY योजनान्तर्गत Package No.- MGSY/ 24-25/Sheohar-03 (Tender Id-140688) की निविदा में संवेदक Badri Vishal Construction Private Limited (Reg. No. 1240208) द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र जाली/ फर्जी होने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10664 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 03.11.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं होने के कारण निविदा की सारी प्रक्रिया कैफे द्वारा की जाती है। साईबर कैफे द्वारा ही किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर उक्त निविदा में इनके विरुद्ध गलत अनुभव प्रमाण-पत्र से संबंधित कागजात अपलोड कर दिया गया।

4. संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के क्रम में संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

5. संदर्भित निविदा में संवेदक द्वारा शपथ-पत्र समर्पित किया गया। उक्त शपथ-पत्र की कॉडिका-09 में यह उल्लेखित है कि यह कि "मेरे निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख एवं समर्पित कागजात सही एवं दुरुस्त है। इसके सत्यापन पर यदि कोई कागजात फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो विभाग मुझपर कालीकृत करने सहित कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।"

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Badri Vishal Construction Private Limited (Reg. No. 1240208) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 10664 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

5259
28/12/25

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
5565
22-12-25
3.12.25

1005 1775

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-256/2025 12771 /पटना, दिनांक- 18-12-25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, मथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर
विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-256/2025 12771 /पटना, दिनांक- 18-12-25
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0),
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-256/2025 12771 /पटना, दिनांक- 18-12-25
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-256/2025 12771 /पटना, दिनांक 18-12-25
प्रतिलिपि:- संवेदक Badri Vishal Construction Private Limited Add:- C/O Rajesh
Kumar Pandey Chhota Bariyarpur Motiha Bariarpu Motihari Dist- East Champaran
Pincod-845401 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-256/2025 12771 /पटना, दिनांक- 18-12-25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

नेबंधत

1134/1002

4967169
22.12.2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Bapudham Enterprises Prop Pappu Kumar, (Reg. No.1250146) Add:- Son Of Bachcha Prasad Yadav, At Mathiya Bariyarpur, P.O- Mathurapur, P.S- Piprakothi, Dist- East Champaran Bihar, Pincode- 845429 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-9448 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 14.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

याचिकाकर्ता / संवेदक Bapudham Enterprises Prop Pappu Kumar, (Reg. No.1250146) Add:- Son Of Bachcha Prasad Yadav, At Mathiya Bariyarpur, P.O- Mathurapur, P.S- Piprakothi, Dist- East Champaran Bihar, Pincode- 845429 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के अधीन MMSUY योजनान्तर्गत Package No.-RRSMP/24-25 Sitamarhi/03 (Tender Id-139491) की निविदा में संवेदक Bapudham Enterprises, Prop:- Pappu Kumar, (Reg. No.1250146) द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र जाली / फर्जी होने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9448 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।


3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 14.11.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि निविदा की सारी प्रक्रिया साईबर कैंपे द्वारा की जाती है। जिसके द्वारा किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर उक्त निविदा में उनके खिलाफ गलत अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित कागजात अपलोड कर दिया गया है।

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (ड) में उल्लेखित है कि "दिये गये दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 01.09.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 14.11.2025 है।

5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील, काल बाधित (Time Barred) है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Bapudham Enterprises Prop Pappu Kumar, (Reg. No.1250146) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 9448 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(दिवेश सेहरा)
सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग (कार्य प्रबंधन)
पत्र सं. 5564
दिनांक 22-12-25
02810 (सं.)
22/12/25
31 (सं.)
5.2
23/12

5256
26/12/25

2.12.15

1007
1173

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-140/2025 12770 /पटना, दिनांक- 18.12.25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर
विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'
18.12.25

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-140/2025 12770 /पटना, दिनांक- 18.12.25
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0),
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-140/2025 12770 /पटना, दिनांक- 18.12.25
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-140/2025 12770 /पटना, दिनांक 18.12.25
निबंधत प्रतिलिपि:- संवेदक Bapudham Enterprises Prop:- Pappu Kumar, Add:- Son Of
Bachcha Prasad Yadav, At Mathiya Bariyarpur, P.O- Mathurapur, P.S- Piprakothi, Dist-
East Champaran Bihar, Pincode- 845429 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-140/2025 12770 /पटना, दिनांक- 18.12.25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

4967090
22.12.2025

संवेदक M/S A R P Construction Prop Arpit Kumar (Reg. No. 1230497) Add:- S/O: Umesh Kumar Singh, Ward No.25, Near M.S College, New Chandmari, Motihari, East Champaran, Motihari, Bihar Pincode: 845401 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10889 दिनांक 15.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 03.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

याचिकाकर्ता/संवेदक M/S A R P Construction Prop Arpit Kumar (Reg. No. 1230497) Add:- S/O: Umesh Kumar Singh, Ward No.25, Near M.S College, New Chandmari, Motihari, East Champaran, Motihari, Bihar Pincode: 845401 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के अधीन MGSY योजनान्तर्गत Package No.- MGSY/ 24-25/Sheohar-01 (Tender Id-140686) की निविदा में संवेदक M/S A R P Construction Prop Arpit Kumar (Reg. No. 1230497) द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र जाली/ फर्जी होने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10889 दिनांक 15.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।


3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 03.11.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि निविदा की सारी प्रक्रिया साईबर कैफे द्वारा की जाती है। साईबर कैफे द्वारा ही किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर उक्त निविदा में इनके विरुद्ध गलत अनुभव प्रमाण-पत्र से संबंधित कागजात अपलोड कर दिया गया।

4. संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के क्रम में संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

5. संदर्भित निविदा में संवेदक द्वारा शपथ-पत्र समर्पित किया गया। उक्त शपथ-पत्र की कडिका-08 में यह उल्लेखित है कि यह कि "मेरे निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख एवं समर्पित कागजात सही एवं दुरुस्त है। इसके सत्यापन पर यदि कोई कागजात फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो विभाग मुझपर कालीकृत करने सहित कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।"

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक M/S A R P Construction Prop Arpit Kumar (Reg. No. 1230497) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 10889 दिनांक 15.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(दिवेश सेहरा)
सचिव

5258
26/12/25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-255/2025

12774

/पटना, दिनांक- 18.12.24

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-255/2025

12774

/पटना, दिनांक- 18.12.24

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-255/2025

12774

/पटना, दिनांक- 18.12.24

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-255/2025

12774

/पटना, दिनांक 18.12.25

निबंधत

प्रतिलिपि:- संवेदक M/S A R P Construction Prop Arpit Kumar, Add:- S/O: Umesh Kumar Singh, Ward No.25, Near M.S College, New Chandmari, Motihari, East Champaran, Motihari, Bihar Pincode: 845401 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-255/2025

12774

/पटना, दिनांक- 18.12.25

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

11/12/2025

4959629
19.12.2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Ritesh Kumar, (Reg. No. 1200199) Add:- Ward No. 23 Budhwari Tola Dist- Bagaha Pincode 845101 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10725 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 25.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

12/12/2025

याचिकाकर्ता/संवेदक Ritesh Kumar, (Reg. No. 1200199) Add:- Ward No. 23 Budhwari Tola Dist- Bagaha Pincode 845101 अनुपस्थित एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-01 उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला PMGSY-III योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बगहा-01 के अधीन MRL06-Nara Bridge to Katauri Construction of RCC HL Bridge At Ch.9+750 Km in Nara Nadi Bridge to Khatauri Road (BR37P3R25) (Tender ID-140439) की निविदा में संवेदक Ritesh Kumar, (Reg. No. 1200199) द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किये जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10725 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 25.11.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि संदर्भित निविदा में समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच विधिक रिति से नहीं की गयी है।

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (ड) में उल्लेखित है कि "दिये गये दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 10.10.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 25.11.2025 है।

5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील, काल बाधित (Time Barred) है। साथ ही संवेदक द्वारा Condonation of delay के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Ritesh Kumar, (Reg. No. 1200199) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 10725 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सिंह)
सचिव

5264
28/12/25

1997-11601
ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-183/2025

12678

/पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2025

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक- 17.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-183/2025

12678

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2025

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक- 17.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-183/2025

12678

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2025

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक 17.12.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-183/2025

12678

प्रतिलिपि:- संवेदक Ritesh Kumar, Add:- Ward No. 23 Budhwari Tola Dist- Bagaha Pincode 845101 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2025

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक- 17.12.25

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-183/2025

12678

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2025

सरकार के उप सचिव

1168/996

4959609
19.12.2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Nitesh Kumar, (Reg. No. 1250203) Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path, Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar Pincode: 800024 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-10724 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 17.10.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

12/12/2025

याचिकाकर्ता / संवेदक Nitesh Kumar, (Reg. No. 1250203) Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path, Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar Pincode: 800024 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना उपस्थित।


2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन Package No. MGSY/24-25/Patna/02 (Tender ID- 141459) की निविदा में संवेदक Nitesh Kumar, (Reg. No. 1250203) द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र जाली / फर्जी होने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10724 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 17.10.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि निविदा की सारी प्रक्रिया साईबर कैंफे द्वारा की जाती है। जिसके द्वारा किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर उक्त निविदा में उनके खिलाफ गलत अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित कागजात अपलोड कर दिया गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के क्रम में संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Nitesh Kumar, (Reg. No. 1250203) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 10724 दिनांक 10.10.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(दिवेश सेहरा)
सचिव

554/
पत्र सं-
दिनांक
22-12-25

23/12/25


23/12

29.12.25


5263
26/12/25

295 / 1157


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-267/2025 12662 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर
विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-267/2025 12662 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0),
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-267/2025 12662 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-267/2025 12662 /पटना, दिनांक 17.12.25
प्रतिलिपि:- संवेदक Nitesh Kumar, Add:- S/O Sadan Prasad, Harihar Rai Path,
Indrapuri, Patliputra, Patna Bihar Pincode: 800024 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधत


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-267/2025 12662 /पटना, दिनांक- 17.12.25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

08

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

4959568
19.12.2025

1766

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-59/2025 12884 /पटना, दिनांक- 17.12.25

संवेदक मनोज कुमार (Reg. No. 3170578) Add:- Vill-Chodhrana Parsa, Rajnagar, P.O-Rampatti, P.S-Rajnaga, Dist-Madhubani Bihar Pincode-847236 को कार्य प्रमंडल, मधुबनी के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत Rajaji Pokhar to Ghiwahi SC Tol Road पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया था। उक्त एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 14.10.2017 एवं समाप्ति की तिथि 13.04.2018 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के कार्यालय आदेश संख्या:-377 दिनांक 12.03.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या:- 32SBD/2017-18 को विखंडित किया गया।

मुख्य अभियंता-06 (दरभंगा), ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 394 अनु0 दिनांक 06.06.2024, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी के पत्रांक 437 अनु0 दिनांक 28.05.2024 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 974 अनु0 दिनांक 28.05.2024 द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार एकरारित अवधि तक लंबित/अपूर्ण रखने एवं Program of Works के अनुसार समानुपातिक अनुरक्षण कार्य को अपूर्ण/लंबित रखने के कारण संवेदक मनोज कुमार (Reg. No. 3170578) को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2305 अनु0 दिनांक 01.07.2024, पत्रांक 2876 दिनांक 27.08.2024 एवं पत्रांक 3180 दिनांक 07.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

तदालोक में संवेदक द्वारा दिनांक 25.07.2024 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 884 अनु0 दिनांक 23.05.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संदर्भित पथ के एकरारनामा के विखंडन के उपरान्त विषयांकित पथ का निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर इनके पत्रांक 609 अनु0 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी को समर्पित किया गया। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी के पत्रांक 369 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा नोडल पदाधिकारी, MMGSY, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को समर्पित की जा चुकी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक मनोज कुमार (Reg. No. 3170578) Add:- Vill-Chodhrana Parsa, Rajnagar; P.O-Rampatti, P.S-Rajnaga, Dist-Madhubani Bihar Pincode-847236 के निबंधन संख्या:-3170578 को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

आभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पत्र सं०- 5542
दिनांक- 22-12-25
370 (अ)
330- (ख)
9.7
52
23/12
3.12.25

5262
28/12/25

993/1165


धित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2025

12864

/पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि- संवेदक मनोज कुमार, Add:- Vill-Chodhrana Parsa, Rajnagar, P.O-Rampatti, P.S-Rajnaga, Dist-Madhubani Bihar Pincode-847236 को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2025

12864

/पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2025

12864

/पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2025

12864

/पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

4959584
19.12.2025

6134/992

संवेदक Bhushan Constech & Marketing Private Limited (Reg. No. 1220275) Add:- Shashi B Singh Main Road Maner, Patila, Patna, Bihar Pincode: 801108 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-9436 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 25.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

याचिकाकर्ता/संवेदक Bhushan Constech & Marketing Private Limited (Reg. No. 1220275) Add:- Shashi B Singh Main Road Maner, Patila, Patna, Bihar Pincode: 801108 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन Package No. MGSY/24-25/Patna/03 (Tender ID- 141467) की निविदा में संवेदक Bhushan Constech & Marketing Private Limited (Reg. No. 1220275) द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र जाली/फर्जी होने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9436 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 25.11.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि निविदा की सारी प्रक्रिया साईबर कैंफे द्वारा की जाती है। जिसके द्वारा किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर उक्त निविदा में उनके खिलाफ गलत अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित कागजात अपलोड कर दिया गया है।

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (ड) में उल्लेखित है कि "दिये गये दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 01.09.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 25.11.2025 है।

5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील, काल बाधित (Time Barred) है। साथ ही संवेदक द्वारा Condonation of delay के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक Bhushan Constech & Marketing Private Limited (Reg. No. 1220275) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 9436 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(दिवेश सिंह)
सचिव

5261
26/12/25

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पत्र सं- 5543
दिनांक- 28-12-25
5310 (ख)
31-12-25
23/12
3.12.25


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-208/2025 12663 /पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.12.2025
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-208/2025 12663 /पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.12.2025
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-208/2025 12663 /पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


16.12.2025
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-208/2025 12663 /पटना, दिनांक 17.12.25

प्रतिलिपि:- संवेदक Bhushan Constech & Marketing Private Limited Add:- Shashi B Singh Main Road Maner, Patila, Patna, Bihar Pincode: 801108 को सूचनार्थ प्रेषित।


16.12.2025
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-208/2025 12663 /पटना, दिनांक- 17.12.25

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.12.2025
सरकार के उप सचिव

निबंधत



4959729
19.12.2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक M/S Vaishno Enterprises (Regd. No-1210203), At-Veer Kunwar Singh Colloney, N/A-Charitravan, Dist-Buxar, Pin-802101 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 11717 दिनांक 19.11.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरुद्ध दिनांक 27.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

12/12/2025

संवेदक M/S Vaishno Enterprises की ओर से विनोद कुमार सिंह एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज उपस्थित।

- प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा (टेन्डर आई0डी0-141455 / 141470) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक M/S Vaishno Enterprises के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 11717 दिनांक 19.11.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।
- उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 27.11.2025 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए बताया गया है कि साईबर कैफे द्वारा भुलवश फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है। इस संबंध में क्षमायाचना करते हुए कालीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
- संवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर स्वीकार किया गया कि किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र साईबर कैफे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। जबकि संदर्भित निविदा में संवेदक द्वारा निविदा में अपलोड किये गये सभी कागजात सही होने के आशय का शपथ पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि कोई भी कागजात गलत पाये जाने पर विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक M/S Vaishno Enterprises (Regd. No-1210203) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 11717 दिनांक 19.11.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंध)
पत्र सं०
दिनांक

503-10 (सं०)
3/12/25
अ. 34 (सं०)

5-7
82
23/12

रिजल
23.12.25

5260
28/12/25

1989/1161

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-269/2025

12631

/पटना, दिनांक:- 16.12.25

निबंधित

प्रतिलिपि:- M/S Vaishno Enterprises(Regd. No-1210203), At-Veer Kunwar Singh Colloney, N/A-Charitravan, Dist-Buxar, Pin-802101 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक:- 16.12.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-269/2025 12631

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रथम निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक:- 16.12.25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-269/2025 12631

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक:- 16.12.25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-269/2025 12631

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

सरकार के उप सचिव

Dr.



1160/988

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

4959659
19.12.2025

संवेदक Rina Singh (Regd. No-1230180), PO-Sonbarsa, Dist-Aurangabad, Pin-824124 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10038 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरुद्ध दिनांक 12.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

12/12/2025

संवेदक अनुपस्थित एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज उपस्थित।

अ.प्र. (का.प्र.)

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पत्र सं. 5558
दिनांक 12-12-25

30 (40)
22/12/25
23/12/25

23/12

2. प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा (टेंडर आई0डी0-140471) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Rina Singh के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10038 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 12.11.2025 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीकरण आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

4. संवेदक द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि एम0एम0जी0एस0वाई0(अवशेष) योजनान्तर्गत किसी अन्य निविदा(टेंडर आई0डी0-142157) में उन्हें L1 घोषित किये जाने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 2722 दिनांक 18.09.2025 द्वारा संवेदक के पक्ष में कार्यादेश(Letter of Acceptance) निर्गत किया गया है। साथ ही दिनांक 18.09.2025 को ही कालीकरण आदेश निर्गत हो जाने के उपरांत प्रश्नगत निविदा में एकरारनामा नहीं किया जा सका है।

5. बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(ड) में उल्लेखित है कि "दिये गये दण्ड के विरुद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अंदर विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 18.09.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 12.11.2025 है।

6. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील, काल बाधित(Time Barred) है।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर निदेश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 2722 दिनांक 18.09.2025 द्वारा संवेदक के पक्ष में निर्गत कार्यादेश(Letter of Acceptance) को निरस्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किया जाय साथ ही संवेदक Rina Singh (Regd. No-1230180) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 10038 दिनांक 18.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेंहरा)
सचिव

23.12.25

5264
26/12/25

1983 1159

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-273/2025

12629

/पटना, दिनांक:- 16-12-25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष

16-12-2025

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक:- 16-12-25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-273/2025

12629

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष

16-12-2025

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक:- 16-12-25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-273/2025

12629

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष

16-12-2025

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक:- 16-12-25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-273/2025

12629

प्रतिलिपि:- Rina Singh(Regd. No-1230180), PO-Sonbarsa, Dist-Aurangabad, Pin-824124, Mob-9431279064 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभाष

16-12-2025

सरकार के उप सचिव

रि.

निबंधित

1158/2025

4959707
19.12.2025



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Rinki devi (Regd No.-1230213) W/O-Badrinarayan Bhagat, Vill-Belashpur, PO-ghordihan, P.S.-Karagahar, Dist-Rohtas, Bihar, Pin-821115 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 718 दिनांक 17.02.2025 एवं ज्ञापांक 6710 दिनांक 25.06.2025 द्वारा अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरुद्ध दिनांक 27.11.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

संवेदक की ओर से बट्टी भगत उपस्थित एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 एवं 02 उपस्थित।

अ.प्र. (क.प्र.)

2. प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 एवं 02, भभुआ, डिहरी विक्रमगंज के अधीन निविदा में गलत अग्रधन समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Rinki devi के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 718 दिनांक 17.02.2025 एवं ज्ञापांक 6710 दिनांक 25.06.2025 द्वारा अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।
3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 27.11.2025 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीकरण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।
4. बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(ड) में उल्लेखित है कि "दिये गये दण्ड के विरुद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अंदर विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 17.02.2025 एवं 25.06.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 27.11.2025 है।
5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील काल बाधित (Time Barred) है। साथ ही संवेदक द्वारा Condonation of delay के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पत्र सं- 5552
दिनांक- 29-12-25

30 अठ (स.)

37/12/25

23/12

82/23/12

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक Rinki devi (Regd No.-1230213) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण ज्ञापांक 718 दिनांक 17.02.2025 एवं ज्ञापांक 6710 दिनांक 25.06.2025 द्वारा अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

23/12/25

5265
26/12/25

485/1154

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-09/2025 12630 /पटना, दिनांक:- 16.12.25
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-09/2025 12630

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-09/2025 12630

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-09/2025 12630

प्रतिलिपि:-Rinki devi (Regd No.- 1230213) Pan No-BTOPD4632F, W/O-Badrinarayan Bhagat, Vill-Belashpur, PO- ghordihan, P.S.-Karagahar, Dist-Rohtas, Bihar, Pin-821115 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

सरकार के उप सचिव

निबंधित

९

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

4959679
19.12.2025

1156
984

संवेदक Shivendra Kumar Sinha, (Reg. No. 1230072), Add:-S/O:Sumeshwar Singh, Siyaruwa, Jagdishpur, Thana-Jagdishpur, Siyaruwa, Bhojpur, Bihar Pincode: 80215 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक-7073 दिनांक 13.12.2023 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 30.10.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

12/12/2025

आदेश

याचिकाकर्ता / Shivendra Kumar Sinha, (Reg. No. 1230072), Add:-S/O:Sumeshwar Singh, Siyaruwa, Jagdishpur, Thana-Jagdishpur, Siyaruwa, Bhojpur, Bihar Pincode: 80215 एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज उपस्थित।

2. प्रस्तुत मामला MMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज के अधीन Packge No.MMGSY-NDB-BRRP-425-Forbisganj (TID-2023_ECBIH_123602_1) BID ID-534247 एवं Packge No. MMGSY-NDB-BRRP-426-Forbisganj (TID-2023_ECBIH_123603_1) BID ID-534249 के निविदा में **Misleading or False Representation regarding turnover**, के संबंध में जाली कागजात समर्पित किये जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 7073 दिनांक 13.12.2023 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 30.10.2025 को अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित प्रतिवेदित किया गया कि संदर्भित निविदा कागजात भरने के समय भूलवश गलत कागजात अपलोड हो गया है।

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (ड़) में उल्लेखित है कि "दिये गये दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।" संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 13.12.2023 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि 30.10.2025 है।

5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध दायर अपील, काल बाधित (Time Barred) है। साथ ही संवेदक द्वारा **Condonation of delay** के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त Shivendra Kumar Sinha, (Reg. No. 1230072) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 7073 दिनांक 13.12.2023 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए की गयी कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दिवेश सेहरा)
सचिव

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)
पत्र सं- 5539
दिनांक- 22-12-25
3.12.25
23/12
15/12

5266
28/12/25

983/1155

207/1/10/2023-04-38/2023 (चार/10)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-20/2023 12641 /पटना, दिनांक- 16.12.25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर
विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल'
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-20/2023 12641 /पटना, दिनांक- 16.12.25
प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0),
ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-20/2023 12641 /पटना, दिनांक- 16.12.25
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-01-20/2023 12641 /पटना, दिनांक 16.12.25
प्रतिलिपि:- संवेदक Shivendra Kumar Sinha, Add:-S/O:Sumeshwar Singh, Siyaruwa,
Jagdishpur, Thana-Jagdishpur, Siyaruwa, Bhojpur, Bihar Pincode: 80215 को सूचनार्थ
प्रेषित।

निबंधत

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-20/2023 12641 /पटना, दिनांक- 16.12.25
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव